कार्यालय– मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे0)/15–क/ 461 /नवीनीकरण/2019–20/ दिनांक 27 नवम्बर, 2019

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक शिविर(मा0)/15–क/11168–11278/मान्यता/2013–14 दिनांक 11.09.2013 के द्वारा अनुनाद पब्लिक स्कूल चांदपुर, विकासनगर देहरादून (मान्यता कोड 084) को प्री–प्राईमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 31.07.2018 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 01.08..2018 से आगामी पांच वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जाता है और पांच वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(आशारानी पैन्यूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

पृ0सं0 शिविर(बे0)/15–क/ 8746-52 /नवीनीकरण/2019–20 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय–समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।
6. नगर शिक्षा अधिकारी देहरादून।
7. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य ।

(आशारानी पैन्यूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।